सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 487/16 **निर्णय दिनांकः—04.05.2018**

1. पीथासिंह पुत्र पातोसिंह जाति राजपूत निवासी चक 2 के.एम. तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 22—03—1988
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 22—03—1988 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने चयनित होने का प्रमाण प्रस्तुत न करने के कारण खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील कोलायत का गरीब चयनित परिवार का काश्तकारी पेशा भूमिहीन किसान है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र वर्ष 1988 में पेश किया था जो प्रार्थी को बिना सूचना दिये प्रार्थी का

प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा एकीकृत ग्रामीण योजना के अन्तर्गत वयनित होने बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वांछित सबूत के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत अपीलांट का प्रार्थना पत्र अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—03—1988 के विरूद्व अपील दिनांक 24—09—15 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—03—1988 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 24—09—2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष ग्रामीण एकीकृत योजनान्तर्गत चयनित होने के आधार पर आवंटन की इस्तदुआ की गई थी। अपीलांट को अपने प्रार्थना पत्र के साथ उक्त योजना के अन्तर्गत चयनित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपरिहार्य था। क्योंकि जिस योजना के अन्तर्गत अपीलांट द्वारा आवंटन चाहा गया है उक्त योजना में चयनित होने का प्रमाण पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

(3) अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ वांछित सबूतों में एकीकृत ग्रामीणा योजना के अन्तर्गत चयनित होने का प्रमाण पत्र, सेना या सीमा सुरक्षा बल के सदस्य जिसने सेना या सीमा सुरक्षा बल में कम से कम 5 वर्ष तक सेवा की है तथा कनिश्नड अफसर नहीं रहा है के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। इसी प्रकार चूंकि प्रार्थी का पेशा कृषि नहीं होने व मौके पर आबाद नहीं होने के कारण अदालत मातहत द्वारा प्रार्थी को बारानी भूमि पोन का पात्र नहीं माना गया है।

चूंकि प्रार्थी द्वारा अपने आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन आदेश प्राप्त करने का इच्छुक नहीं रहा है। अदालत मातहत द्वारा आवेदक के उपस्थित नहीं होने व सबूतों के अभाव में अपीलांट का आवंटन आदेश खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 22—03—1988 बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर